संख्या–   /XXVIII–4–2012–140/2010

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 **देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2013**

विषय– उत्तराखण्ड के राजकीय चिकित्सालयों के प्रयोगार्थ Mixed Oxidant Generation System का मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत क्रय किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–15प/भण्डार/21/12/40003 दिनांक 05.12.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उपकरण को मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत क्रय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

S.N	Description of Goods	Name of Manufacturing firm	Model/ make	Qty	Rates Exclusive of all taxes and duities	VAT	Unit price (in ₹) Inc. of all taxes & duties	4 year CMC after 3 year warranty	Total Amount(In ₹) Inc. of all taxes & duties with 4 year CMC after 3 year warranty	Remarks
1	Mixed oxidant generation system	M/s Faith Innovations	Model:Sterrigen SG-400 Make: Faith Innovation	7	750000.00	37500.00	787500.00	IVth year 52500.00 Vth year 52500.00 VIth year 52500.00 VIIth year 52500.00 **Total 210000.00**	5512500.00 +1470000.00 CMC= **6982500.00**	L1

2– उपकरण को मात्रानुबन्ध के अन्तर्गत क्रय करने की कार्यवाही शासनादेश संख्या–1271/XXVIII–5–2008–122/2002 दिनांक 22.10.2009 में उल्लिखित व्यवस्था /प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी।

3– उपकरण क्रय में मद स्वीकृति धनराशि का आहरण/व्यय सम्बन्धित वित्तीय हस्त–पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों एवं केन्द्रीय क्रय समिति की संस्तुति के

अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

4— सी.एम.सी. से सम्बन्धित धनराशि वॉरण्टी अवधि समाप्त होने के पश्चात यथा आवश्यकता क्रमिक वर्षो में क्रमिक रूप से ही सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध करायी जायेगी

5— उपकरण क्रय करने एवं धनराशि आहरण करने की कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस चिकित्सालय हेतु उपकरणों का क्रय किया जा रहा है, उनमे आवश्यक चिकित्सा/पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो। यदि आपूर्ति के पश्चात उपकरण शीघ्र क्रियाशील नहीं होते हैं, तो इस हेतु सम्बन्धित अधिप्राप्ति करने वाले अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6— उपकरण का मूल्य उचित होने के सम्बन्ध में आवश्वस्त होने पर ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या—190 (P)/XXVII(3) /2012—13, दिनांक 22 जनवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या— 154) (1)/XXVIII—4—2012—140/2010 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. निदेशक भण्डार, स्वाथ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, स्वाथ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन विभाग/ एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

C:\Documents and Settings\A\Desktop\My Data\Rakhi\medical equipment\Equipment Quantity Contract G.O.docx